

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)
वि. नाम: डी. व. नाम: दूरगमल

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर
अहक
हुक्म
में

पत्रावली अस्थायी निषेध। मु.नं. - 20/2019

21-11-24

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु मु.नं. 4-12-24 को पेश हो।

0412.2024

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान् अनुपस्थित। प्रकरण में कोर्ट समाप्ति तक रूक-रूक कर बार-बार आवाज दिलाई गई। बावजूद आवाजों के भी वकूलाय उभय पक्षकारान् में से कोई भी हाजिर अदालत नहीं आये है। अतः वकूलाय उभय पक्षकारान् की अनुपस्थिती में प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

